

सं० सं० 14 / एम 11-4 / 15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.7.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आशुतोष कुमार पिता-श्री विपिन बिहारी शर्मा ग्राम-गलीनं०-1, कोचर पेट्रोल पंप के पीछे, पो०-एचपी०ओ० थाना-सिविल लाई जिला-गया	किडनी रोग	₹ 2,50,000 / (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000 / -

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000 / - (दो लाख पचास हजार) का क्रास चेक सं०...
.....850180.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डा. राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक- 23-7-15

ज्ञापांक - 862 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

4-7-15

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक... 23/7/15

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 8.7.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विरेन्द्र कुमार सिंह पिता-स्व. रामनाथ सिंह ग्राम+पो०-कथराई थाना-कोचस जिला-रोहतास हौस्पिटल नं०-3396/15	लीवर कैंसर रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 1,50,000/(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	सिकलीया देवी पति-स्व० शिव साह ग्राम-डुलदवाना पोस्ट+थाना-पकड़ी दयाल जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-4941/14	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/(एक लाख) स्वीकृत।
3	हरेन्द्र साह पिता-मोहन साह ग्राम+पो०-बलुआ रमपुरवा थाना-बैरिया जिला-प० चम्पारण हौस्पिटल नं०-923/15	कैंसर रोग	₹ 80,000/(अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	धर्मावती देवी पति-शिव मुनी दुबे ग्राम-खन्दरा पाण्डेयपुर पोस्ट-दुल्हापुर जिला-बक्सर हौस्पिटल नं०-936/15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 50,000/(पचास हजार) स्वीकृत।
5	शान्ति देवी पति-बैद्यनाथ साह ग्राम-डुमरावा पो०+थाना-पकड़ी दयाल जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-5451/14	कैंसर रोग	₹ 80,000/(अस्सी हजार) स्वीकृत।

6	कुसमावती देवी पति-बिटुन साह ग्राम-वरीदेवरीया पोस्ट-थाना-हथुआ जिला-गोपालगंज होस्पिटल नं0-568/14	कैंसर रोग	₹ 75,000 / (पचहतर हजार) स्वीकृत ।
			कुल ₹ 5,35,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,35,000 /- (पांच लाख पैंतीस हजार) रुपये का क्रास चेक सं0.....
.....850192.....मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डा0 राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक - 23-7-15

ज्ञापांक - 861 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


निदेशक प्रमुख
4-7-15

